



PROJECT SAFE

Safety • Dignity • Empowerment of Girls

सुरक्षा • गरिमा • सशक्तिकरण

सुरक्षित बालिका
सशक्त समाज



Safety
सुरक्षा



Awareness
जागरुकता



Fortitude
साहस/दृढ़ता



Empowerment
सशक्तिकरण



भारत स्काउट्स और गाइड्स, उत्तर प्रदेश
Bharat Scouts & Guides, Uttar Pradesh

PROJECT SAFE

(भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, उत्तर प्रदेश की एक पहल बालिकाओं की सुरक्षा, गरिमा एवं सशक्तिकरण हेतु)

1. SAFE क्या है?

S – Safety (सुरक्षा)

➤ अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना, संभावित जोखिमों की पहचान करना तथा सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया देने के उपाय सीखना।

A – Awareness (जागरूकता)

➤ उत्पीड़न, पीछा करना (Stalking), मानव तस्करी, असुरक्षित स्थानों, साइबर अपराध तथा अन्य संभावित खतरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

➤ बालिकाओं को विभिन्न **कानूनों एवं नियमों**, पुलिस एवं प्रशासन की भूमिका, आपातकालीन सहायता प्रणालियों, परामर्श (Counselling) तथा शिकायत/रिपोर्टिंग की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

F – Fortitude (साहस एवं दृढ़ता)

➤ मानसिक एवं शारीरिक साहस, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता (Reflexes), आत्मविश्वास तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उचित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता का विकास करना।

E – Empowerment (सशक्तिकरण)

➤ बालिकाओं को आवश्यक सुरक्षा कौशल एवं तकनीकी साधनों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें यह जानकारी देना कि आवश्यकता पड़ने पर **सहायता नेटवर्क एवं आपातकालीन सहायता सेवाओं** तक कैसे पहुँचा जाए।

2. SAFE Philosophy)

प्रोजेक्ट SAFE का उद्देश्य:

➤ *लड़कियों को कमजोर और असुरक्षित बताना इसका उद्देश्य नहीं है।*

बल्कि उन्हें जागरूक, सतर्क, आत्मविश्वासी, तैयार और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।

➤ *हमलावरों से लड़ना इसका उद्देश्य नहीं है।*

बल्कि आपात स्थिति में तुरंत और उचित प्रतिक्रिया देकर सुरक्षित रूप से वहाँ से निकलना इसका उद्देश्य है।

- लड़कियों को प्रतिबंधित करना इसका उद्देश्य नहीं है।
बल्कि उनके मन से भय दूर कर साहस और आत्मविश्वास का निर्माण करना इसका उद्देश्य है।
- लड़कियों को यह बताना इसका उद्देश्य नहीं है कि वे कहाँ नहीं जा सकतीं।
बल्कि हर स्थान को अधिक सुरक्षित बनाना इसका उद्देश्य है।
- सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केवल लड़कियों पर डालना इसका उद्देश्य नहीं है।
बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार, तत्पर, सम्मानजनक एवं सहयोगी बनाना इसका उद्देश्य है।
- लड़कियों को स्वयं अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, केवल इसी पर ध्यान देना इसका उद्देश्य नहीं है।
बल्कि ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना इसका उद्देश्य है, जहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी निभाए।

3. विज़न (Vision)

“ऐसे सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, जहाँ प्रत्येक बालिका बिना किसी भय के सुरक्षित, स्वतंत्र एवं आत्मविश्वास के साथ चल सके, खेल सके, पढ़ सके, कार्य कर सके, यात्रा कर सके और अपना जीवन स्वतंत्रतापूर्वक जी सके। इसके लिए उसे आवश्यक ज्ञान, कौशल, तकनीकी साधनों, क्षमताओं एवं सहायता प्रणालियों से सशक्त बनाया जाए, ताकि वह स्वयं की सुरक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर समय पर सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो।”

4. मुख्य उद्देश्य (Core Objective)

“रोकथाम, तैयारी, संरक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया एवं सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं, बालकों, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों, पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं जिम्मेदार नागरिकों की सहभागिता से एक समग्र (360-डिग्री) सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना।”

5. प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives)

1. व्यक्तिगत सुरक्षा (Personal Safety)

- बालिकाओं में **व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी कौशल** का विकास करना।
- परिस्थितियों के प्रति **जागरूकता (Situational Awareness)** एवं संभावित जोखिमों की पहचान करने की क्षमता में सुधार करना।
- बालिकाओं को **बुनियादी आत्मरक्षा (Self-Defense)** एवं सुरक्षित रूप से किसी परिस्थिति से बाहर निकलने की तकनीकों का प्रशिक्षण देना।

- **त्वरित निर्णय लेने** एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने के कौशल का विकास करना।
- संभावित **जोखिमपूर्ण स्थानों, परिस्थितियों एवं अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों** के प्रति बालिकाओं को जागरूक करना।
- बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित **कानूनों एवं विधिक प्रावधानों**, सहायता तंत्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों, तकनीकी साधनों तथा बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- बालिकाओं में **आत्मविश्वास का विकास** करना तथा उन्हें किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए **मानसिक रूप से सशक्त एवं सक्षम** बनाना।

2. डिजिटल एवं साइबर सुरक्षा (Digital & Cyber Safety)

- बालिकाओं को **साइबर स्टॉकिंग (Cyberstalking), ऑनलाइन उत्पीड़न (Online Harassment), साइबर ब्लैकमेल, ऑनलाइन चोरी एवं निजता (Privacy) से जुड़े जोखिमों** के बारे में जागरूक करना तथा उनकी पहचान करने में सक्षम बनाना।
- **सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं सुरक्षित उपयोग** को बढ़ावा देना।
- बालिकाओं को **बुनियादी डिजिटल सुरक्षा उपायों** का प्रशिक्षण देना।
- **डीपफेक (Deepfake), फर्जी पहचान/प्रतिरूपण (Impersonation) एवं ऑनलाइन शोषण (Online Exploitation)** के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- बालिकाओं को **साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) एवं साइबर अपराधों (Cyber Crimes)** के संबंध में जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करना।

3. सुरक्षित आवागमन (Safe Mobility)

- बालिकाओं को **असुरक्षित मार्गों, स्थानों, क्षेत्रों, सड़कों एवं परिवहन संबंधी जोखिमों** की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- स्कूल, कॉलेज एवं कार्यस्थल तक **सुरक्षित आवागमन** को बढ़ावा देना।
- असुरक्षित स्थानों की सूचना **संबंधित अधिकारियों को देने तथा उसके प्रभावी फॉलो-अप** के लिए आवश्यक तंत्र विकसित करना।
- **सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन** एवं अंतिम छोर तक सुरक्षित आवागमन (**Last-Mile Connectivity**) को प्रोत्साहित करना।
- बालिकाओं को **सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों** के संबंध में जागरूक करना।

4. संस्थागत सुरक्षा (Institutional Safety)

विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कार्यस्थल अथवा अन्य संस्थान के लिए **बालिका सुरक्षा योजना (Girl Safety Plan)** का विकास करना, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हों—

- सुरक्षित परिसर एवं आधारभूत संरचना (Safe Campus Infrastructure)
- पर्याप्त एवं प्रभावी प्रकाश व्यवस्था (Lighting)
- आवश्यकता के अनुसार **CCTV कैमरों की व्यवस्था**
- कर्मचारियों एवं स्टाफ का सत्यापन (Staff Verification)
- सुरक्षित परिवहन व्यवस्था
- आपातकालीन संपर्क नंबर एवं संपर्क व्यवस्था
- आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (Internal Complaint Mechanism)
- पुलिस शिकायत एवं रिपोर्टिंग की व्यवस्था
- लैंगिक संवेदनशीलता के साथ शिकायत एवं शिकायत-निवारण प्रक्रिया (Gender-Sensitive Grievance Handling)
- नियमित सुरक्षा ऑडिट (Regular Safety Audits)

5. सामुदायिक सहभागिता (Community Participation)

समुदाय के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए **प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं** का आयोजन करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों—

- छात्र-छात्राएँ (बालक एवं बालिकाएँ)
- शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ
- अभिभावक
- पुलिस personnel / पुलिस कर्मी
- परिवहन कर्मी एवं चालक
- कार्यस्थल प्रबंधन
- स्थानीय व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान
- गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

- समाज के प्रभावशाली एवं प्रबुद्ध व्यक्ति (Opinion Leaders)
- जिम्मेदार नागरिक (Responsible Citizens)

6. प्रोजेक्ट SAFE के मुख्य घटक (Main Components of Project SAFE)

- A. SAFE Training — SAFE प्रशिक्षण**
- B. SAFE Mind — SAFE मानसिकता**
- C. SAFE Emergency Drill — SAFE आपातकालीन अभ्यास**
- D. SAFE Awareness Campaign — SAFE जागरूकता अभियान**
- E. SAFE Boys Programmes as Partners — SAFE में बालकों की सहयोगी भागीदारी**
- F. SAFE Campuses — SAFE सुरक्षित परिसर**
- G. SAFE Use of Digital Platforms — SAFE डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग**
- H. SAFE Zones — SAFE सुरक्षित क्षेत्र**
- I. SAFE Walk — SAFE सुरक्षित पदयात्रा**
- J. SAFE Parent Programmes — SAFE अभिभावक कार्यक्रम**
- K. SAFE Transport — SAFE सुरक्षित परिवहन**
- L. SAFE Social Media — SAFE सोशल मीडिया**
- M. SAFE Neighbourhood — SAFE सुरक्षित पड़ोस**

7. कार्यान्वयन मॉडल (Implementation Model)

- A. राज्य एवं जिला समितियों का गठन**
(State/District Committees का गठन)
- B. राज्य स्तरीय टीमों एवं प्रशिक्षकों/स्वयंसेवकों का गठन**
(Creation of State Level Teams & Trainers/Volunteers)
- C. जिला स्तरीय टीमों का विकास**
(Development of District Level Teams)
- D. संस्थागत स्तर पर SAFE टीमों का गठन**
(Building of Teams at Institutional Level)
- E. संस्थानों में कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं का आयोजन**
(Programmes/Workshops in Institutions)

F. रणनीति एवं कार्यप्रणाली (Strategy & Methodology)

Assess → Educate → Train → Equip → Connect → Monitor → Upscale

आकलन → जागरूक करना → प्रशिक्षण देना → सक्षम/सुसज्जित करना → सहायता तंत्र से जोड़ना → निगरानी करना → विस्तार करना

कार्यप्रणाली का क्रम

1. Assess (आकलन)

सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, जोखिमों एवं चुनौतियों का आकलन करना।

2. Educate (शिक्षित एवं जागरूक करना)

सुरक्षा, कानून, अधिकारों, जोखिमों एवं उपलब्ध सहायता प्रणालियों के संबंध में जानकारी देना।

3. Train (प्रशिक्षित करना)

बालिकाओं एवं संबंधित हितधारकों को आवश्यक सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण देना।

4. Equip (सक्षम एवं सुसज्जित करना)

आवश्यक कौशल, तकनीक, संसाधन एवं सुरक्षा साधनों से सक्षम बनाना।

5. Connect (जोड़ना)

बालिकाओं को परिवार, विद्यालय/संस्थान, पुलिस, प्रशासन एवं अन्य सहायता नेटवर्क से जोड़ना।

6. Monitor (निगरानी एवं अनुश्रवण)

कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं शिकायत/रिपोर्टिंग तंत्र की नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण करना।

7. Upscale (विस्तार करना)

सफल SAFE मॉडलों को अधिक संस्थानों, जिलों एवं समुदायों तक विस्तारित करना।

8. प्रमुख गतिविधियाँ (Flagship Activities)

- **SAFE Girl Training Workshops/Sessions** — बालिकाओं हेतु SAFE प्रशिक्षण कार्यशालाएँ/सत्र
- **SAFE Cyber Awareness Sessions** — साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता सत्र
- **SAFE Self-Defense Workshops** — आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाएँ
- **SAFE Parents' Programmes** — अभिभावक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **SAFE Boys for Respect Campaign** — सम्मान एवं संवेदनशीलता हेतु बालक अभियान

- **SAFE Emergency Drill** — आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास
- **SAFE Walks** — SAFE जागरूकता एवं सुरक्षित आवागमन पदयात्राएँ
- **SAFE Awareness Campaign** — SAFE जन-जागरूकता अभियान
- **SAFE Campus Audit** — संस्थागत/परिसर सुरक्षा ऑडिट
- **SAFE Competitions** — SAFE विषयक प्रतियोगिताएँ
- **SAFE Awards** — SAFE उत्कृष्टता एवं योगदान पुरस्कार

9. सफलता का मापन (Measuring Success)

प्रोजेक्ट SAFE की प्रगति एवं प्रभाव का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा—

- गठित **SAFE टीमों की संख्या**
- SAFE के अंतर्गत कवर किए गए **जिलों की संख्या**
- कवर किए गए **विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों की संख्या**
- आयोजित विभिन्न **SAFE कार्यशालाओं की संख्या**
- प्रशिक्षित बालिकाओं की संख्या
- किए गए **SAFE Campus Audits की संख्या**
- आयोजित **SAFE Cyber Safety Awareness Workshops की संख्या**
- आयोजित **अभिभावक कार्यशालाओं की संख्या**
- आयोजित **बालकों (Students – Boys) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या**

10. SAFE जागरूकता अभियान (SAFE Awareness Campaign)

मुख्य संदेश / अभियान स्लोगन

“Confident Girl – Safe Girl – Strong Nation”

“आत्मविश्वासी बालिका – सुरक्षित बालिका – सशक्त राष्ट्र”

“Be Alert – Be Confident – Be Safe”

“सतर्क रहें – आत्मविश्वासी बनें – सुरक्षित रहें”

“Don’t Blame the Girl – Change the Environment”

“बालिका को दोष न दें – वातावरण को सुरक्षित बनाएं”

“Her Safety – Our Responsibility”

“उसकी सुरक्षा – हमारी जिम्मेदारी”

“Fear Less – Know More – Stay Safe”

“कम भय – अधिक ज्ञान – सुरक्षित जीवन”

